

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा

जिला-कोरबा (छ.ग.)

क्रमांक/7423 मान्यता नवीनीकरण/2024-25
प्रति,

कोरबा, दिनांक. 29.11.24

प्रधान पाठक,

अशास. प्रा.शा./मा.शा. ~~कार्यन पदविश्वकूल उरगा~~
विकासखण्ड ~~कोरबा~~ जिला - कोरबा (छ.ग.)

विषय :- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2009 की धारा 19 के प्रयोजन के लिये
नियम 11 के उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता नवीनीकरण प्रमाण-पत्र।
संदर्भ :- आपका आवेदन दिनांक 9.6.25

--- 00 ---

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपकी संस्था यु डाईस कोड 2205/011645 को कक्षा नर्सरी/के.जी.1/पहली से कक्षा 12 तक मान्यता नवीनीकरण हेतु सत्र 2025-26 के लिये अंग्रेजी/हिन्दी/संस्कृत माध्यम संचालन करने हेतु अनुमति प्रदान करने की संसूचना छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के प्रशासकीय आदेश क्रमांक एफत्र-02-39/2019/20- दो अटल नगर दिनांक 13.11.2019 के परिपालन में निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अधीन दिया जाता है:-

मान्यता/नवीनीकरण के नियम एवं शर्तें

1. प्रवेशित कक्षा से कक्षा 5वीं/8वीं तक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 15 के उप नियम (1) के तहत उल्लेखित मानकों के सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
2. विद्यालय का संचालन न लाभ न हानि के आधार पर किया जायेगा।
3. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
4. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
5. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों के अनुसार विद्यालय के लिये निम्नलिखित अधोसंरचना होना अनिवार्य है:-
 - विद्यालय का भवन-प्रत्येक कक्षा के लिये पृथक-पृथक कक्षा अध्यापन कक्ष एवं आवश्यकतानुसार कक्ष एवं उपकरण आदि।
 - खेल का मैदान।
 - प्राचार्य/प्रधान पाठक एवं स्टाफ के लिये पृथक-पृथक कक्ष।
 - स्टाफ, छात्र, छात्राओं के लिये पृथक-पृथक शौचालय की व्यवस्था।
 - द्विव्यांग विद्यार्थियों के लिये पृथक शौचालय की व्यवस्था।
 - प्रत्येक विद्यार्थी को बैठने के लिये फर्नीचर की व्यवस्था।
 - कक्षा स्तर अनुसार योग्य एवं प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था।
 - शुद्ध पेयजल सुविधा, अग्नि शमन यंत्र।
 - बाधारहित पहुंच मार्ग आदि।
 - क्रीड़ा खेलकूद के उपकरणों/पुस्तकालय की पृथक-पृथक उपलब्धता।

क्रमशः.....

24.08.20

1. 7PG.N.974

पूर्व पृष्ठ से जारी.....

6. विद्यालय को सोसायटी/रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकरण किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा संचालित होगा।
7. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ष तैयार किया जाना आवश्यक होगा। प्रत्येक लेखा विवरण/आडिट का एक प्रति प्रत्येक वर्ष इस कार्यालय के मान्यता शाला में जमा करें।
8. आपके विद्यालय को यू ड्राईस 2205/0.1164.5...को पत्राचार के लिए उल्लेख करें।
9. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो छ.ग.शासन एवं संचालन लोक शिक्षण संचालनालय/संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये गये हो।
10. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण जीवित पंजीयन/नवीनीकरण होना आवश्यक है।
11. विद्यालय बंद करने या आगे संचालन नहीं करने की स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी/वि.ख.शिक्षा अधिकारी को तीन माह पूर्व लिखित में कारण सहित सूचित करने होंगे।
12. छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
13. कोविड 19 के संबंध में छ.ग.शासन सामान्य प्रशासन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश का पालन करते हुये शाला का संचालन करना होगा।

पृ.क्रमांक/742/मान्यता नवीनीकरण/2024-25
प्रतिलिपि:-

जिला शिक्षा अधिकारी
कोरबा (छ.ग.)
कोरबा, दिनांक...09/12/24.

5. कलेक्टर जिला कोरबा (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
6. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
7. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कोरबा/करतला/कटघोरा/पाली/पोड़ी उपरोड़ा, जिला कोरबा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. नोडल अधिकारी शा.उ.मा.वि.....जिला कोरबा को सूचनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
कोरबा (छ.ग.)